

फर्द अहकाम

(नियम 13)

G LMS

2020/00002

28.10.2020

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. ठाकराराम

हलका निंबलकोट

पुत्र श्री. अलसारास जाति. जाट

निवासी (साखी गोदरे की अथ)

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 02/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
10-7-2020	पटवारी हलका निंबलकोट ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2077 में मौजा निंबलकोट के खसरा नंबर 177 रकबा 150 कर्फी किस्म भूमि के मुद्रिका पर नाजायज अतिक्रमण कर काश्त व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 29-07-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
29-7-2020	पत्रावली आठ पेश हुई। गैर सायल व पटवारी हलका उपस्थित। गैर सायल ने जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किताब आता। गैर सायल को एक और अवसर दिया जाकर पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को पेश हो	ठाकराराम प. निंबलकोट

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

तहसीलदार सिणधरी
जिला-बाड़मेर

3-8-2020


पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साधल्य
अनुपास्थित। पटवारी हल्का अनुपास्थित।
पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर

6-8-2020

पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साधल्य
अनुपास्थित। पटवारी हल्का अनुपास्थित।
गैर साधल्य को अतिक्रम चोषित करते
हुए पत्रावली फंसल सुधार हो। निर्णय
भ्रमण से छिरवा जाकर शाहिक पत्रावली
है, निर्णय सुको व्यापार के सुनाया बाण।
पत्रावली फंसल सुधार होकर शखिल
दफतर हो।

तहसीलदार सिंगधरी
जिला-बाड़मेर


प. निम्बलकोट